संख्या 2902/बारीस-2-35-19(1)71/85

प्रेषक:

श्री गंगा प्रसाद शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

चेयरमैन,
फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी,
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : जून 17, 1985

विषय - फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश के लिये अतिरिक्त अस्थायी पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 21 मई पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कमेटी के दिन प्रतिदिन के बढ़ते हुए कार्य के सम्पादन हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अस्थायी पदों को, उनके सम्मुख इंगित वेतनमान में, पदों पर वास्तविक रूप से विज्ञापित किये जाने की तिथि से दि0 28 फरवरी, 1986 तक के लिए, अथवा इन पदों को इस अवधि के पूर्व ही समाप्त कर दिया जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
1- क्लर्क टाइपिस्ट	रु0 354-10-424 ए.टी.-10-454-12-514 बी.टी.-12-550	एक
2- टेलीफोन आपरेटर	----तदैव----	एक
3- चपरासी कम-वाइस्टीस्टाइल सफाई आपरेटर	315-6-351-बी.टी.-6-363-7-384-8-400-बी.टी.-8-440	एक

2- इन पदों पर नियुक्तियाँ कमेटी के एक्टिंग चेयरमैन अर्थात सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जायेगी । भरने की प्रणाली नियमानुसार होगी । इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की अर्हतायें राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष ही होंगी तथा उनको राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय महंगाई तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3- शासनादेश संख्या - 124/बारीस-2-19(1)71/84, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा कमेटी में जिन दैनिक वेतन भोगी संख्या के दो पदों की अवधि

दिनांक 16 मार्च, 1985, तक बढ़ायी गई थी उनकी कार्यावधि राज्यपाल महोदय इस शासनादेश में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक (उर्दू) के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। नियमित नियुक्ति होने के दिनांक में दैनिक वेतन भोगी टंककों के पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय कमेटी अपने संसाधनों से वहन करेगी तथा इसके लिये शासन द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1731/दस-1985 दिनांक 3 जून, 1985, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद शुक्ला)
सचिव

संख्या 2902(1)/चालीस-2-85(171/84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11

आज्ञा से,

(एम० आबिद अली)
अनु सचिव